The Opinion, Vol. 5, No. 10, July-December, 2016 **ISSN : 2277-9124**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

डॉ0 सुनीता गुप्ता*

"Education is manifeslaton of perfeton already present in man"
Swami Vivekanand

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह प्रथम सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग से ना होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है–

''बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाय, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग–अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य की ओर बच्चों के सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भावात्मक विकास को समेकित रुप में देखना होगा।'' अतः प्रारम्भिक शिक्षा बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व (शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवोगिक) के विकास का प्रारम्भिक चरण है। इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है जिसे शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य है। गांधी जी ने भी 1937 में 'राष्ट्रीय योजना' प्रस्तुत किये थे जिसमें 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करने का प्रस्ताव था। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 45 में देश के 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के समूह के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी दी गई।

सन् 1950 से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। परन्तु आजादी के 69 वर्ष पश्चात् भी हम सार्वभौम नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। सर्वभौम नामांकन का अभिप्राय–निर्धारित प्रवेश आयु अर्थात् 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिलाने से है। अनुमानतः अभी भी 11 प्रतिशत बच्चे (लड़के 2 प्रतिशत तथा लड़कियाँ 20 प्रतिशत) विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं। नामांकन का सार्वभौमिक न होने का प्रमुख कारण बच्चों की आर्थिक दशा का खराब होना है। वे विद्यालय जाने के बजाय अपने परिवार की आय की पूर्ति के लिए फार्म तथा खेतों, दुकानों तथा कारखानों में काम करते हैं। लड़कियाँ घर के कामकाज तथा छोटे भाई–बहनों की देखभाल करती हैं। साथ ही माता–पिता की उदासीनता एवं नीरस विद्यालय पाठ्यक्रम और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ नामांकन के सार्वभौमीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएँ है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को दाखिला दिलाने के लिहाज से भारत ने अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की है, लेकिन सबसे जरुरी बात यह है कि बच्चे स्कूल में निर्धारित आयु तक टिके रहे तथा पढ़ाई बीच में न छोड़े। भारत में केन्द्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा चक्र पूरा करने के लिए प्रेरणा दें। इसके लिए विद्यालयों को बच्चों के करीब लाया जाये तथा स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाये। जिन बच्चों को स्कूल तक ला पाना सम्भव न हो, उनके लिए अनौपचारिक या वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किये जायें।

बच्चे देश की सर्वोच्च सम्पत्ति है। वे संभावित मानव संसाधन है जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। देश की स्वतंत्रता के 69 वर्ष पश्चात् भी शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य न प्राप्त कर पाना, महिला पुरुष साक्षरता में विशाल अन्तर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2007 में दी गयी रिपोर्ट में भारत को 66

* **असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, राजकिशोर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरुइन, जमानियाँ, गाजीपुर**

प्रतिशत का एक गरीब साक्षर देश माना गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट–2009 में भारत को विश्व साक्षरता रैंकिग में 190 देशों में 149वाँ स्थान दिया गया है।

भारत में साक्षरता के इस स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास तो स्वतंत्रता के पश्चात् ही शुरु हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक सिद्वान्त में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का राज्य को निर्देश दिया गया। इसके तहत यह प्रावधान था कि ''राज्य अगले दस साल के अवधि के भीतर देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'' इसी प्रकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है– ''राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने का प्रयास करेगा।'' परन्तु समय बीतने के पश्चात् भी देश में शिक्षा के विकास में अपेक्षित सफलता नही मिली। सर्वप्रथम 1993 में उन्नीकृष्णन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक मानते हुए संविधान के अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाने का निर्णय दिया। सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सविधान के अनुच्छेद 21 (अ) में 6 से 14 आयु के सभी बालको को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया इसमे निर्धारित हुआ ''राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।'' साथ ही मूल कर्त्तव्य में 11वाँ कर्त्तव्य जोड़ते हुए निर्धारित किया कि ''राज्य, सरकार, बच्चों के माता–पिता या संरक्षक तथा अभिभावक सभी का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने से 6 से 14 आयु वर्ग के बालक/बालिका को विद्यालय भेजे।'' साथ ही अनुच्छेद 45 में संशोधन कर यह निर्धारित किया गया किन्तु जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध राज्य करेगा।'' और इस प्रकार भारत में शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार से मौलिक अधिकार बन गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वर्ष 2003 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर गंभीरता से काम शुरु हुआ और 2005 में ''राइट टू फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजुकेशन बिल'' का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। 2008 में निर्णायक रुप से यह बिल संसद में पारित हुआ। पूरी तरह से तैयार बिल 2 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दी और 33 अप्रैल 2009 को भारत के राजपत्र में 'राइट टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन बिल' के रुप में अधिसूचित किया गया। इस प्रकार देश में प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और बाध्यकारी स्कूल जाने का अधिकार मिला। इस ऐतिहासिक फैसले के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष राजकोष पर 12000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और लगभग 1.5 करोड़ अरब रुपये इसकी अधिसंरचना के विकास में खर्च होगी। शिक्षा का अधिकार क्रियान्वयन के लिए 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीन वर्षों के भीतर 2.31 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इस राशि का उपयोग स्कूलों का निर्माण आधारभूत ढाँचे का विकास और शिक्षकों की नियुक्ति पर किया जायेगा। एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक कृष्ण कुमार कहते है– ''हमने वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और अब हमें दर्शाना है कि कैसे इसे लागू किया जाए और व्यवस्था में सुधार लाया जाय'' इस कानून के अन्तर्गत बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति देना, आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश देने सम्बन्धी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मिल समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं।

इस कानून के अनुसार शिक्षा के दायरे के बाहर छूट गये करोड़ों बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करना, आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास, योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षित करना पैरा शिक्षको की नियुक्ति, फेल–पास प्रणाली से अलग बच्चों के

लगातार मूल्यांकन (सीसीई) आदि जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे, साथ ही 75 प्रतिशत अभिभावकों एवं कुल संख्याका पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी वाली स्कूल प्रबन्धन समितियों का जनतांत्रिक तरीके से गठन व संचालन तथा उनके द्वारा स्कूल के लिए विकास योजना बनाने व निगरानी जैसी प्रगतिशील योजनाएँ तय की गई है। प्राइवेट स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या का 25 प्रतिशत पड़ोस की गरीब बस्तियों में रह रहे आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को दाखिला दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतन्त्र भारत के इतिहास की युगान्तकारी घटना है। शिक्षाशास्त्री विनोद रैना कहते है – ''यह ऐतिहासिक विधेयक, राजनीतिक सहमति से प्राप्त की गयी संभवतः अब तक की सबसे बड़ी सफलता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निम्न प्रावधान है –

1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध सरकार का दायित्व होगा।
2. ''6–14 वर्ष तक के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानि 46 प्रतिशत अभी स्कूल नही जा पाते है जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की 5 वर्षों में जरुरत होगी जिसमें 25000 करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।''
3. 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबन्ध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
4. स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इससे शिक्षा से वंचित बालकों के चिन्हांकन में मदद मिलेगी।
5. निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 2 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किये जायेगे।
6. इन बच्चों को न स्कूल फीस देनी होगी। न ही स्कूल यूनिफार्म, पुस्तकों, ट्रान्सपोर्टेशन जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
7. बच्चों को न तो अगली कक्षा मे पहुँचन से रोका जायेगा न निकाला जायेगा।
8. कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश से इन्कार नही कर सकता।
9. सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित होगी।
10. इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च के केन्द्र व राज्य सरकारे मिलकर उठायेंगी। वित्तीय वर्ष का केन्द्र राज्य अनुपात 55:45 होगा।
11. अधिनियम में छात्र–शिक्षक अनुपात 1:30 निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को पूरा करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी।
12. यह शारीरिक दण्ड, मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा ट्यूशन, तथा मान्यतारहित विद्यालयों के संचालन को निषेध करता है।
13. सभी विद्यालयो में मूलभूत सुविधायें होनी अनिवार्य है इसमें पढ़ाई के लिए सभी मौसम के अनुरुप कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पीने का पानी, दोपहर का भोजन, पुस्तकालय आदि शामिल है।
14. यह संविधान में निधारित मूल्यों तथा मूल्यों के अनुरुप पाठ्यक्रम के विकास का प्रावधान करता है जो ज्ञान बालकों के ज्ञान क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण करते हुए उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर सकेंगे।
15. इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केन्द्र व राज्य सरकार के बीच 55:45 के अनुपात में साझा किया जायेगा।
16. सर्वशिक्षा अभियान में ही यह निश्चय किया गया था कि अध्यापकों में 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकायें होंगी जो शिक्षा के अधिक कानून में भी निश्चित किया गया।

राइट–टू–एजुकेशन एक्ट लागू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत नौजवानों का देश है। बच्चों और नौजवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जायेगा। शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं

का विकास होगा तथा राष्ट्र शक्तिशाली एवं सुदृढ़ होगा। यह उत्तरदायित्व एवं सक्रिय नागरिक बनाने में सहायक है। इसने देश के सभी लोगों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी सहयोग आवश्यक है।

संदर्भ :

1. मदान, पूनम (2016) : समसामयिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
2. गुप्ता, एस. पी.; गुप्ता, डॉ. अलका (2012) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
3. सिंह, डॉ. डी. एन., कुमारी श्रीमती निरुपा : प्रारम्भिक शिक्षण विधि, नवदीप पब्लिकेशन, पटना।
4. पाण्डेय, जे. एन. (2001, 2012) : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद
5. कश्यप, सुभाष (2010) : भारत का संविधान, प्रकाशक नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
6. सारस्वत, डॉ. मालती, गौतम, प्रो.एस.एल. : भारतीय शिक्षा का विकास।
7. चन्द्र, प्रो. विपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम
8. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012, भाग–2, सामाजिक क्षेत्रक पृष्ठ संख्या 1–42, योजना आयोग, भारत सरकार,
9. wikipedia.org
10. www.righttoeducation.com